Dr. REETU RAJ

Assistant Professor

Department of HISTORY

RAJA SINGH COLLEGE SIWAN

(Jai Prakash University Chapra)

Lecture Notes on - "विजयनगर साम्राज्य का प्रान्तीय शासन-प्रबन्ध।" *(for TDC Part 2 HISTORY HONOURS)*

विजयनगर साम्राज्य का प्रान्तीय शासन-प्रबन्ध।

विजयनगर साम्राज्य अत्यन्त विस्तृत होने के कारण प्रशासनिक सुविधा हेतु साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों (मंडल) में बांटा गया। जैसे-

प्रांत – राज्य कहलाते थे।

मंडल (कमिश्नरी) – प्रांतों के अंतर्गत आते थे।

कोट्टम या वलनाडु – जिले कहलाते थे।

नाडु (परगना या तहसील) – कोट्टम या वलनाडु के अंतर्गत आते थे।

मेलाग्राम (पचास ग्राम) – नाडुओं के अंतर्गत आते थे।

स्थल एवं सीमा – कुछ गाँवों के समूह होते थे।

राज्य, प्रान्त या मण्डल में विभाजित किया गया था। कृष्णदेव राय के समय प्रान्तों की संख्या कुल छः थी। प्रान्तों के प्रशासक सामान्यतया परिवार (राजा) के सदस्य होते थे। इन्हें सिक्कों को प्रसारित करने, नये कर लगाने, पुराने कर माफ करने एवं भूमिदान देने की स्वतन्त्रता थी।

इन्हें भू-राजस्व बसुल कर उसका एक निश्चित भाग केन्द्र को भेजने का उत्तरदायित्व मिला था।प्रान्तों को मण्डल एवं 'मण्डल' को कोट्टम' में विजित किया गया था। कोट्टम का एक अन्य नाम 'वलनाडु' भी था। वलनाडु को 'नाडु' में बॉटा गया था जिनकी स्थिति आज की तहसीलों के समान थी। नाडु आगे 'मेलाग्राम' में बँटे होते थे, जिसमें 50 ग्राम सम्मिलित होते थे। 'उर, या 'ग्राम' विजयनगर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थे।

नायंकर-व्यवस्था

विजयनगर साम्राज्य की प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में नायंकर व्यवस्था उसका एक बहुत महत्त्वपूर्ण अंग थी। इसे विजयनगर साम्राज्य की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता बताया गया है। चोल युग और विजयनगर युग के राजतंत्र के बीच सबसे बङा अंतर यही नायंकर व्यवस्था है। इस व्यवस्था की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार विजयनगर के सेनानायकों को 'नायक' कहा जाता था, जबकि अन्य के अनुसार, 'नायक' भू-सामन्त होते थे। उन्हें वेतन के बदले एवं स्थानीय सेना के खर्च के बदले विशेष प्रकार के

भूखण्ड दिये जाते थे, जिन्हें 'अमरम' कहा जाता था। ये नायक चूँकि 'अमरम' भूमि का प्रयोग करते थे। इस कारण इन्हें 'अमर नायक' भी कहा जाता था। अमरम भूमि की आय का एक निश्चित भाग राजकोष में जमा करना पड़ता या एवं इसी आय से राजा की सहायता के लिए एक सेना का रख-रखाय करना होता या। नायक को अमरम भूमि में शान्ति, सुरक्षा एवं अपराधों को रोकने का दायित्व का भी निर्वाह करना होता था। इसके अलावा जंगलों को साफ करना एवं कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना भी उनके जिम्मे था। राजधानी में नायकों के दो सम्पर्क अधिकारी रहते थे। प्रथम नायक की सेना का सेनापति एवं द्वितीय प्रशासनिक अभिकर्ता 'स्थापित' होता था।

विजयनगर काल में नायंकर व्यवस्था का सर्वाधिक प्रचलन तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नायंकर व्यवस्था में सामंतवादी लक्षण बहुत अधिक थे। जो विजयनगर साम्राज्य के विनाश का कारण बनी। अच्युतदेव राय ने नायकों की उच्छुंखलता को रोकने के लिए 'महामण्डलेश्वर' नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी।16 वी. शता. तक इन नायकों की संख्या लगभग

200 थी और इन नायकों को सबसे अधिक तमिलनाडु में नियुक्त किया गया था।

क्षेत्र विशेष में नायक प्रांतीय गवर्नरों के समान काम करते थे परन्तु गवर्नरों से उनकी स्थिति भिन्न थी।गवर्नर की तुलना में नायकों को अपने अमरम प्रांत में कहीं अधिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। राजा सामान्यतः नायंकार प्रदेशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। नायकों का स्थानांन्तरण नहीं होता था जबकि गवर्नर प्रशासकीय आवश्यकता के अनुरूप स्थानांन्तरित या पदच्युत भी किया जा सकता था। गवर्नरों को प्रायः दण्डनायक कहा जाता था और अधिकांशतः वे ब्राह्मण हुआ करते थे।नायकों के पद धीरे- धीरे आनुवांशिक हो गये जबकि गवर्नर आनुवांशिक नहीं थे।इस तरह राजनीतिक संदर्भ में नायकों का स्तर राजा के बाद आता था।

References: Internet & Competitive books.